

परिपत्र संख्या 29/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(42)जन/10/13527


दिनांक: 7-9-10

परिपत्र

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तोवजों में प्रलेख लेखकों द्वारा अपना नाम पद एवं पता तथा अपने इन्द्राज रजिस्टर का सिरीयल नम्बर/दिनांक का अंकन नहीं किया जाता है।

राजस्थान लाइसेंसिंग ऑफ डाक्यूमेंट राइटर्स रूल 1956 के नियम-8 के अनुसार प्रलेख लेखक को उनके द्वारा ड्राफ्ट कर लिखे/टंकण कराये दस्तावेज पर दिनांक, स्वयं के हस्ताक्षर व वसूल की गई लिखाई फीस का इन्द्राज करने के साथ नियम 9 के अनुसार संधारित रजिस्टर में लिखे गए दस्तावेज को किस क्रमांक पर दर्ज किया है, उसका अंकन करना आवश्यक है, किन्तु पक्षकार द्वारा प्रलेख लेखक से अपना दस्तावेज लिखाना अनिवार्य नहीं है।


अतः निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त प्रलेख लेखकों से उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करायी जावे। समस्त उप पंजीयक, सुनिश्चित करे कि उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज पर उक्तानुसार अंकन होते हैं।


महानिरीक्षक, 07/9/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
अजमेर

क्रमांक: एफ-7(42)जन/10/13528 to 13976

दिनांक: 7-9-10

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
 3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
 4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
 5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
 6. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
 7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
 8. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
 9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
 10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
 11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
 12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
 13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
 14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर